छापने का पता : यूनिक ट्रेडर्स स्टेशनरी, जोधपुर

डिगरी बमुकद्मे इब्तदाई

(आ० २१ रूल ६, ७ जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर मुकाम फलोदी

द इजलास यशपाल आहुजा RAS

(1) ईशरलाल वगैरा बनाम सार्वजनिक निर्माण विभाग
(1) ईशरलाल पुत्र मुकनलाल जरिये अधिशाषी अभियंता
(2) लीलाधर पुत्र पृथ्वीराज

दावा बाबत 88 R.T. Act मुकद्मा नं० 92 सन् 2019

यह आज मुकद्मा वास्ते इनफिसाल कतई हुक्म

व हाजरी प्रविण कुमार महेश्वरी मिनजानिब मुद्दई व —

मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आंशिक स्विकार किया जाता है जाकर ग्राम ढढू पटवार हल्का ढढू तहसिल फलोदी मे प्रतिवादीगण संख्या 01 सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम अंकित दर्ज खसरा संख्या 273/3 रकबा 13.17 बीघा मे से 03.03 बीघा भूमि का वादीगण को खातेदार घोषित

नीचे मुतलिक बाबत

खर्चा इस मुकद्मे के मय सूद शरीक फी सदी सालाना आज की तारीख

से तारीख वसूलयाबी तक को अदा करें।

यसीअत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 19 माह 11 सन् 2019 को जारी की गई है।

दस्तखत सहायक कलेक्टर
ओहदा फलोदी (जोधपुर)

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलाह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अरजी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	—		स्टाम्प अारजी	—	
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील	—		खर्चा गवाहान	—	
खर्चा गवाहान			फीस कमीशनर	—	
फीस कमीशनर	—		बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्म नामा			मुतफर्रिक	—	
मुतफर्रिक	—				
मीजान			मीजान		

नोट : इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकैन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या या नहीं दर्ज करना चाहिये।

6 बीघा 7.5 बिस्वा जमीन की सड़क निर्माण में आवश्यक रहेगी। प्रतिवादी संख्या 02 ने जबाब पेश कर बताया कि ग्राम सावरीज से ढढू जाने वाली सड़क ग्राम ढढू के खसरा नं. 273 के

सहायक कलेक्टर
फलोदी (जोधपुर)

Scanned by CamScanner

न्याय

(3) दीनदयाल पुत्र पृथ्वीराज
(4) मदनलाल पुत्र पृथ्वीराज
(5) लालीदेवी पत्नी पृथ्वीराज
(6) पृथ्वीराज पुत्र मुकनलाल

सभी जाति पालीवाल
निवासी - कद्दू त० फलोदी
जिला - जोधपुर

किया जाता है इसि माफिक डिक्री पर्चा मलग है शामिल हो। तहसिलदार फलोदी इसी माफिक राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

[signature]
तहसील फलोदी

1.
2.
3.
4.
5
8

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर फलौदी जिला जोधपुर

बइजलास–यशपाल आहूजा (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं 92/2019

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. ईशरलाल पुत्र मुकनलाल 2. लीलाधर पुत्र पृथ्वीराज 3. दीनदयाल पुत्र पृथ्वीराज 4. मदनलाल पुत्र पृथ्वीराज 5. लालीदेवी पत्नी पृथ्वीराज 6. पृथ्वीराज पुत्र मुकनलाल सभी जाति पालीवाल निवासी ढढू तहसील फलौदी जिला जोधपुर		1. सार्वजनिक निर्माण विभाग जरीये अधिशाषी अभियंता 2. तहसीलदार फलौदी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः–

1. **प्रवीण मदेरणा अधिवक्ता वादी**
2. **प्रतिवादी संख्या 01 व 2 उपस्थित**

निर्णय

दिनांक :– 19/11/19

वादीगण के सामलाती खातेदारी अधिकारों की कृषि भूमि वाके ग्राम ढढू पटवार क्षेत्र ढढू तहसील फलोदी जिला जोधपूर में खेत खसरा संख्या 273 रकबा 273.05 बीघा,के रूप में आई हुई है उक्त भूमि पुर्व में वादीगण के पुर्वर्ज मुकनाराम पुत्र सीताराम जाति पालीवाल के नाम से राजस्व में दर्ज थी। वादीगण ने उक्त भूमि में से 37.15 बीघा भूमि नरपतसिह करणसिह पि. खीवसिह, गणपतसिह पुत्र छोगसिह जेठुसिह पुत्र शैतानसिह सभी जाति राजपुत निवासी ढढू तहसील फलोदी जिला जोधपूर को रजिस्ट्रर विक्रय पत्र दिनांक 11.01.1985 को बेचान कर दी तथा उक्त बेचान के आधार पर नरपतसिह वगैरा के नाम से नामांतरकरण भर कर अलगा खाता खसरा संख्या 273/2 रकबा 37.15 बीघा कायम किया गया।

वादीगण ने उक्त भूमि में से 13.13 बीघा भुमि अलसीराम पुत्र मोडाराम जाति कुम्हार निवासी ढढू तहसील फलौदी के नाम जरीये रजिस्टर्ड विक्रय दिनांक 02.08.1982 को बेचान कर दी तथा उक्त बेचान के आधार पर अलसीराम के नाम से नामान्तरकरण संख्या 571 भर कर अलग खाता संख्या 273/2 रकबा 13.13 बीघा कायम किया गया।

वादग्रस्त खसरा की भूमि में से 13.17 भूमि जरिये नामान्तरकरण संख्या 310 गै.मु. सड़क के नाम से प्रतिवादी संख्या 01 के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर दी तथा वादी के उक्त खााता से 13.17 बीघा भूमि कम कर दी वादीगण द्वारा उक्त भूमि बैचान करने एवं सड़क के लिये उक्त भूमि वादीगण के खाता में से कम करने के बाद वादीगण के हिस्से 260.17 बीघा बचती है जो कि वादीगण के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज उक्त वादग्रस्त भूमि में से 13.17 बीघा गै. मु. सड़क के रूप में वादीगण के खाता से कम किये जाने के बाद सड़क रूप में भूमि मात्र 6. 08 बीघा का ही उपयोग किया और गैर कानूनी और विधि विरूद्ध तरीके से वादीगण की 7.09 बीघा भूमि वादीगण के खाता से कम कर दी जबकि मौके पर 6.08 बीघा भूमि पर ही सड़क बनी है। शेष 7.09 बीघा भूमि पर वादीगण वर्तमान में कब्जा एवं काश्त कर रहे है। वादीगण वर्तमान में राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 13.17 बीघा भूमि में से 7.09 बीघा भूमि वादीगण अपने नाम से खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाकर पुनः अपने नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी है।

वाद वादी का दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने जबाब दावा प्रस्ततु कर बताया कि ग्राम ढढू से सावरीज डामर सड़क गांव ढढू के खेत खसरा संख्या 273 में से निकलती है जिसका उक्त खसरे में कुल लम्बाई 573 मीटर है। इंडियन रोड़ कांग्रेस के कोड संख्या IRC:73:1980 के अनुसार सड़क की चौड़ाई अधिकतम 18 मीटर होती है। क्योंकि ढढू से सावरीज की सड़क वर्तमान में ग्रामीण श्रेणी की सड़क है, इसलिए इसमें प्रयुक्त होने वाली जमीन का क्षेत्र इस प्रकार होगा। (573 मीटर X 12 मीटर = 10314 वर्गमीटर = 6 बीघा 7.5 बिस्वा) इसलिये खेत खसरा संख्या 273 में 6 बीघा 7.5 बिस्वा जमीन की सड़क निर्माण में आवश्यक रहेगी। प्रतिवादी संख्या 02 ने जबाव पेश कर बताया कि ग्राम सावरीज से ढढू जाने वाली सड़क ग्राम ढढू के खसरा नं. 273 के

सहायक कलक्टर
फलोदी, जोधपुर

Scanned by CamScanner

मध्य से गुरजती है। नक्शा नट्ठा में उक्त सड़क की तरमीम अंकित है। वर्तमान में जमाबदी के अनुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम खसरा नं. 273/3 रकबा 13.17 बीघा गै.मु. सड़क के रूप में दर्ज है। उक्त सड़क ख.नं. 273 में दो पृथक पृथक स्थानो से होकर गुजरती है। इस खसरे के समीपवर्ती खसरो की तरमीम दर्ज है जिसमें सड़क की चौड़ाई 15 गटठा यानि 100 फीट चौड़ाई दर्ज है। खसरा नम्बर 273 में संलग्न नजरी नक्शा में दर्शाए गए बिन्दु ए से बी तक 200 गटठा लम्बाई X 15 गटठा चौड़ाई के अनुसार 7 बीघा 10 बिस्वा तथा दूसरे स्थान पर नजरी नक्शा में दर्शाए गये संख्या सी से डी तक 85 गटठा लम्बाई X 15 गटठा चौड़ाई के अनुसार 3.04 बीघा भूमि सड़क की बनती है। इस खसरे के कुल 10 बीघा 14 बिस्वा भूमि सड़क सीमा में आती है। जबकि पी.डब्लु.डी के हक में 13.17 बीघा दर्ज किया हुआ है।

वाद पर अधिवक्ता वादी की वहस सुनी गयी अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में बताया की वादीगण के सामलाती खातेदारी अधिकारों की कृषि भूमि वाके ग्राम ढढू पटवार क्षेत्र ढढू तहसील फलोदी जिला जोधपूर में खेत खसरा संख्या 273 रकबा 273.05 बीघा,के रूप में आई हुई है उक्त भूमि पुर्व में वादीगण के पुर्वर्ज मुकनाराम पुत्र सीताराम जाति पालीवाल के नाम से राजस्व में दर्ज थी। वादीगण ने उक्त भूमि में से 37.15 बीघा भूमि नरपतसिह करणसिह पि. खीवसिह, गणपतसिह पुत्र छोगसिह जेठुसिह पुत्र शैतानसिह सभी जाति राजपुत निवासी ढढू तहसील फलोदी जिला जोधपूर को रजिस्ट्रर विक्रय पत्र दिनांक 11.01.1985 को बेचान कर दी तथा उक्त बेचान के आधार पर नरपतसिह वगैरा के नाम से नामांतरकरण भर कर अलगा खाता खसरा संख्या 273/2 रकबा 37.15 बीघा कायम किया गया।

वादीगण ने उक्त भूमि में से 13.13 बीघा भुमि अलसीराम पुत्र मोडाराम जाति कुम्हार निवासी ढढू तहसील फलोदी के नाम जरीये रजिस्टर्ड विक्रय दिनांक 02.08.1982 को बेचान कर दी तथा उक्त बेचान के आधार पर अलसीराम के नाम से नामान्तरकरण संख्या 571 भर कर अलग खाता संख्या 273/2 रकबा 13.13 बीघा कायम किया गया।

वादग्रस्त खसरा की भूमि में से 13.17 भूमि जरिये नामान्तरकरण संख्या 310 गै.मु. सड़क के नाम से प्रतिवादी संख्या 01 के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर दी तथा वादी के उक्त खाता से 13.17 बीघा भूमि कम कर दी वादीगण द्वारा उक्त भूमि बैचान करने एवं सड़क के लिये उक्त भूमि वादीगण के खाता में से कम करने के बाद वादीगण के हिस्से 260.17 बीघा बचती है जो कि वादीगण के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज उक्त वादग्रस्त भूमि में से 13.17 बीघा गै. मु. सड़क के रूप में वादीगण के खाता से कम किये जाने के बाद सड़क रूप में भूमि मात्र 6.08 बीघा का ही उपयोग किया और गैर कानूनी और विधि विरूद्ध तरीके से वादीगण की 7.09 बीघा भूमि वादीगण के खाता से कम कर दी जबकि मौके पर 6.08 बीघा भूमि पर ही सड़क बनी है। शेष 7.09 बीघा भूमि पर वादीगण वर्तमान में कब्जा एवं काश्त कर रहे है। वादीगण वर्तमान में राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 13.17 बीघा भूमि में से 7.09 बीघा भूमि वादीगण अपने नाम से खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाकर पुनः अपने नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी है।

अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस सुनी गयी तहसीलदार फलौदी एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग की रिपोर्ट तथा तहसीलदार फलोदी के जवाब का अवलोकन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी एवं नक्शा का अवलोकन किया बाद अवलोंकन एवं बहस पर मनन के वादीगण का वाद आशिंक स्वीकार योग्य पाया जाता है।

आदेश

वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आशिंक स्वीकार किया जाता जाकर ग्राम ढढू पटवार श्रेत्र ढढू तहसील फलौदी में प्रतिवादीगण संख्या 01 सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम अधिक दर्ज खसरा संख्या 273/3 रकबा 13.17 बीघा में से 03.03 बीघा भूमि का वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है इसी माफिक डिक्री पर्चा अलग से मूर्तिब हो। तहसीलदार फलौदी इसी माफिक राजस्व रेकर्ड में अ़मल दरामद करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19/11/19 को सरे इजलास सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर
फलौदी

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Yashpal Ahuja
Date: 2019.12.14 13:11:00 IST
Reason: SelfAttested
Location: